कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2020–21 दिनांक–04/01/2021 के तहत् श्री मामराज परिहार, व्याख्याता (हिन्दी) का स्थानांतरण राउमावि. भोपालपुरा, श्रीगंगानगर से राउमावि. बाण्डा कॉलोनी, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर किया गया। श्री मामराज परिहार ने अपने स्थानांतरण के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या–972/2021 मामराज परिहार बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य दायर की। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक–18/01/2021 में याचिकार्थी को अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एंव प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी मामराज परिहार ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानान्तरित स्थान 102 किमी दूर स्थित होने, 6 माह का बेटा एवं वृद्व माता की देखभाल के आधार पर अपना पदस्थापन 01. राउमावि, भगवानसर, श्रीगंगानगर, 2. राउमावि, संघर, श्रीगंगानगर, 3. राउमावि, 4 पीपीएम, पदमपुरा, श्रीगंगानगर–नव कमोन्नत, 4. आरपी सीबीईओ, सूरतगढ में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी का पदस्थापन श्रीगंगानगर जिले में ही किया, किसी अन्य जिले में नहीं। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किए गए स्थानांतरण आदेश में राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। उक्त आधार पर याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./मामराज परिहार/972/2021/24 दिनांकः– 28/01/2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
3. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
4. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर